

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी का नाम:- कानाराम, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-171/2024

विविध (धारा 14 सिविल रिट/इजेशन)

एयु स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में एयु फाइनेंसर्स इण्डिया लि० के नाम से जाना जाता था) शाखा कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर -302001 राजस्थान।


—प्रार्थी

बनाम

1. मेहरा किरयाना स्टोर पता 7 जे.एस.एल, गढ़ी छानी, भादरा तहसील भादरा व जिला हनुमानगढ़ - ऋणी
2. श्री दारा सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह पता 7 जे.एस.एल, गढ़ी छानी, भादरा तहसील भादरा व जिला हनुमानगढ़ - सहऋणी
3. श्री गोपाल पुत्र श्री भूरु राम पता 7 जे.एस.एल, गढ़ी छानी, भादरा तहसील भादरा व जिला हनुमानगढ़ - सहऋणी
4. श्री भरत सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह पता 7 जे.एस.एल, गढ़ी छानी, भादरा तहसील भादरा व जिला हनुमानगढ़ - सहऋणी

—आदेश:-

दिनांक :-29.01.2025



प्रार्थी एयु स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में एयु फाइनेंसर्स इण्डिया लि० के नाम से जाना जाता था) शाखा कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मनोज कुमार की ओर से श्री जयपाल झोरड़ वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को ऋण 2,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा दिनांक 02.03.2021 को स्वीकृत व वितरित की गई थी। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण सुविधा की ऐवज में अपनी अचल सम्पति - पट्टा नं. 004, बुक नं. 47, ग्राम पंचायत गढ़ी छानी पंचायत समिति भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़, (राजस्थान) जिसकी चतुर्थ सीमा जिसके पूर्व में बलवीर पश्चिम में कुलदीप उत्तर में रास्ता दक्षिण में आमरास्ता है जिसमें भूमि, भवन व ढाँचा आदि सम्पति के अभिन अंग है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2125 वर्गफुट है, जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में साम्यिक बंधक किया।

अप्रार्थीगण ने कम्पनी द्वारा प्रदत्त ऋण को ऋण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नहीं चुकाने पर उक्त ऋण खाता दिनांक 03.06.2024 को अक्रियान्वित आरित के रूप में (एन. पी.ए.) वर्गीकृत कर दिया गया है। अप्रार्थीगण के ऋण खाता में बकाया राशि 2,07,240/- रुपये दिनांक 05.06.2024 तक का ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके पश्चात का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त बकाया निकलते हैं और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

✓

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
हनुमानगढ़

अप्रार्थीगण के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 07.06.2024 भेज कर 60 दिन में ऋण राशि जमा करने की मांग की गई। परन्तु नोटिस के उपरान्त भी समयावधि में ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी कम्पनी को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक की ट्रैक रिपोर्ट दिनांक 02.12.2024 के अनुसार नोटिस तामील होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहा है। अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

प्रार्थी कम्पनी के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets of Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी कम्पनी के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी कम्पनी के पास रहन रखी अचल सम्पत्ति – पट्टा नं. 004, बुक नं. 47, ग्राम पंचायत गढ़ी छानी पंचायत समिति भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़, (राजस्थान) जिसकी चतुर्थ सीमा जिसके पूर्व में बलवीर पश्चिम में कुलदीप उतर मे रास्ता दक्षिण में आमरास्ता है जिसमें भूमि, भवन व ढाँचा आदि सम्पत्ति के अभिन अंग है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2125 वर्गफुट है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी कम्पनी का चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

यह आदेश जिला कोर्ट दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



जिला मजिस्ट्रेट  
हनुमानगढ़